

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order proposed with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10/10/17	<p>अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।</p> <p>प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>फरियादी दामोदर उप०</p> <p>फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द० १० स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला द्वारा की गई।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।</p> <p>अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 379 भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्त शुदा मैस पूर्व से फरियादी की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>Justified by me</i></p> <p><i>P. K. Sen</i></p> <p><i>अभिवक्ता की</i></p> <p><i>डा० के०के० शुक्ला</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>रा०के० शुक्ला (उप०)</i></p>

(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)